

(125)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर  
समक्ष : एस.एस. अली  
सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 423—दो / 2002 विरुद्ध आदेश दिनांक 24—1—2002  
पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा प्रकरण क्रमांक 56 / अप्रैल / 1987—88.

1. सुदर्शन प्रसाद तनय सीताराम
2. रामप्रताप आत्मज रामरपतरी
3. रघुवंश प्रसाद आत्मज माधव प्रसाद
4. केदारनाथ
5. विश्वनाथ
6. त्रिभुजी नारायण पुत्रगण रामचन्द्र
7. सोमेश्वर प्रसाद तनय मधुसूदर प्रसाद
8. मधुसूदर प्रसाद आत्मज सीताराम
9. रामाधीन
10. रामसुन्दर पुत्रगण रामदयाल
11. माधव प्रसाद पुत्र बुद्धसेन
12. हनुमान प्रसाद पुत्र रामओतार  
निवासीगण ग्राम सगराकलां तहसील हनुमना  
जिला रीवा म0प्र0

----- आवेदकगण

विरुद्ध

1. रामसुमन
2. शिवप्रसाद
3. सुरेन्द्र प्रसाद तनय रामरूप

----- मूल अनावेदकगण

4. सूर्यप्रताप
5. भगवान प्रसाद पुत्रगण रामरूपराम
6. लाल बहादुर
7. भीमसेन पुत्रगण माधवप्रसाद
8. बैजनाथ पुत्र रामदुलारे
9. सूर्यप्रसाद पुत्र रामाकिलाष  
निवासीगण ग्राम सगराकलां तहसील  
हनुमना जिला रीवा म0प्र0

----- औपचारिक पक्षकार

✓

श्री एस०के० वाजपेयी, अभिभाषक आवेदकगण  
श्री कुंवरसिंह कुशवाह, अभिभाषक अनावेदक कं 1 लगायत 3

.....  
:: आ दे श ::

( आज दिनांक 16 / 6 / 2017 को पारित )

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के आदेश दिनांक 24-1-2002 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार हनुमना जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 1/अ-13/86-87 में पारित आदेश दिनांक 22-10-86 के विरुद्ध अपर कलेक्टर रीवा के समक्ष प्रकरण क्रमांक 22/अ-13/86-87 प्रस्तुत किया जिसमें पारित आदेश दिनांक 23-12-87 के द्वारा अपर कलेक्टर ने अनावेदकगण की निगरानी अस्वीकार की। अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 24-1-2002 के द्वारा अनावेदकगण की अपील स्वीकार की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस प्रकरण में मुख्य रूप से विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या संहिता की धारा 131 के अन्तर्गत की जा रही कार्यवाही में संहिता की धारा 135 के अन्तर्गत बिना भूमिस्वामी की सहमति के रास्ते के लिए भूमि को तहसीलदार द्वारा अधिग्रहण किया जा सकता है

अथवा नहीं?

म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 135. में यह प्रावधानित है कि— “सङ्क, पथ आदि की लिए भूमि का अर्जन— (1) यदि, ग्राम वारिसों के आवेदन पर या अन्यथा, कलेक्टर का, जांच के पश्चात, यह समाधान हो जाता है कि ऐसे ग्राम में ग्राम समुदाय के उपयोग के लिए दस फीट से अनाधिक चौड़ी सङ्क की, बैलगाड़ी



मार्ग या पथ की व्यवस्था करने के प्रयोजन के लिए कोई भूमि अर्जित करना समीचीन है, तो वह उस ग्राम के निवासियों से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वे ऐसी भूमि के संबंध में उपधारा (3) के आधीन देय प्रतिकर की रकम विर्निदिष्ट की गई कालावधि के भीरत जमा करें। ऐसा निष्क्रेप कर दिया जाने पर, कलेक्टर, विहित रीति में प्रकाशित किए गए आदेश द्वारा, ऐसी भूमि को अर्जित कर सकेगा और ऐसा आदेश पारित कर दिया जाने पर, ऐसी भूमि राज्य सरकार में पूर्ण रूप में निहित हो जायेगी।"

स्पष्ट है कि संहिता की धारा 131 में की जा रही कार्यवाही में धारा 135 के प्रावधानों का उपयोग कर जिसकी अधिकारिता तहसीलदार को न होकर कलेक्टर को की थी, परन्तु इस प्रकरण में तहसीलदार द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर भू-अर्जन की कार्यवाही की गई है। तहसीलदार द्वारा की गई कार्यवाही को विधिसंगत नहीं कहा जा सकता है। अपर कलेक्टर द्वारा भी इस विधि के प्रावधान की अनदेखी कर तहसीलदार के आदेश को स्थिर रखने त्रुटि की है। अपर आयुक्त ने यह भी पाया है कि संबंधित प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों ने बिना सुनवाई का अवसर दिये आदेश पारित किया है। अनावेदकगण प्रश्नाधीन भूमि के अर्जन हेतु दिये जाने की सहमति भी नहीं दी गई है। इन्हीं विधिक बिन्दुओं के आधार पर अपर आयुक्त ने विस्तार से विवेचना कर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर अपील को स्वीकार किया है। अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश में कोई विधिक त्रुटि परिलक्षित नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

4/ उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 24-1-2002 स्थिर रखा जाता है।

W

(ऐसोएस० अली)

सदस्य

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश  
ग्वालियर